

भाग-III

हरियाणा सरकार

मानव संसाधन विभाग

अधिसूचना

5 अगस्त, 2025

संख्या एस.ओ. 67/एच.ए.17/2024/एस.10/2025. – हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 (2024 का 17) की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल एतद्वारा अधिनियम के तहत पात्र संविदा कर्मचारी की सेवा के नियमों और शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन नियमों को हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) नियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' का अर्थ है हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 (2024 का 17);

(ख) 'अनुलग्नक' का अर्थ है इन नियमों से जुड़ा अनुलग्नक;

(ग) 'सुरक्षित कर्मचारी' का अर्थ है पात्र संविदा कर्मचारी जिसे अधिनियम के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है;

(घ) 'संविदा सेवा का वर्ष' का अर्थ है संविदा कर्मचारी के रूप में उसकी पहली नियुक्ति/तैनाती की तारीख से शुरू होने वाली 365 दिनों की अवधि और उसके बाद की प्रत्येक ऐसी अवधि जिसके लिए उसे इस अवधि के दौरान कम से-कम 240 दिनों के लिए पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो;

3. पात्रता मानदंड

(1) अधिनियम के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ देते समय संविदा सेवा के किसी भी वर्ष को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, जहाँ संविदा सेवा आंशिक रूप से निचले पद पर और आंशिक रूप से उच्च पद पर थी; बशर्ते कि उस वर्ष के दौरान कम से कम 240 दिनों के लिए पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो।

(2) जहाँ एक वर्ष के दौरान संविदा सेवा आंशिक रूप से निचले स्तर के पद पर और आंशिक रूप से उच्च स्तर के पद पर थी, ऐसे मामले में संविदा कर्मचारी के नाम पर उस संबंधित पद के लिए विचार किया जाएगा जिस पर वह वर्तमान में काम कर रहा है।

(3) जहाँ संविदा सेवा आंशिक रूप से हरियाणा सरकार के किसी विभाग में और आंशिक रूप से हरियाणा सरकार के तहत किसी बोर्ड/निगम/प्राधिकरण में एक पद पर रही है, वहाँ पांच साल की संविदा सेवा का पता लगाने के उद्देश्य से कुल संचयी सेवा की गणना की जाएगी।

(4) जहाँ संविदा कर्मचारी को शुरू में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा योग्यता सूची में संशोधन/रद्द करने के कारण उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं और उसे अनुबंध पर लगाया या तैनात किया गया, उसकी नियमित आधार पर पिछली सेवा को उप-नियम (2) के प्रावधान के अधीन, नियमित और संविदा सेवा के बीच के ब्रेक की अवधि को छोड़कर, पांच साल की संविदा सेवा का पता लगाने के उद्देश्य से गिना जाएगा।

(5) प्रत्येक संविदा कर्मचारी एक पात्र संविदा कर्मचारी के रूप में विचार किए जाने के लिए अनुलग्नक-बी में दिए गए फॉर्म में एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

#### 4. अयोग्यता

कोई भी व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवनसाथी जीवित है; या

(ख) जिसका जीवनसाथी जीवित है, उसने किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

अधिनियम के तहत सेवा की सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि सरकार, यदि संतुष्ट हो, कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकती है।

#### 5. संबंधित पद का पता लगाने का तरीका

संबंधित पद का पता लगाते समय उपयुक्त प्राधिकारी निम्नलिखित तरीके का पालन करेगा, अर्थात्:-

(i) यदि संबंधित पद की आसानी से पहचान हो जाती है, तो सुरक्षित कर्मचारी को उसके लिए व्यक्तिगत उपाय के रूप में रखने के उद्देश्य से 16 अगस्त, 2024 से "अधिसंख्य पद" के सृजन के लिए एक प्रस्ताव सरकारी संगठन द्वारा वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वित्त विभाग की मंजूरी मिलने पर, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से सेवा सुरक्षा का आदेश जारी किया जाएगा।

(ii) यदि संबंधित पद की पहचान नहीं की जा सकती है या जहां पात्र संविदा कर्मचारी के पद का नामकरण मौजूदा स्वीकृत नियमित पद से भिन्न है, तो प्रस्तावित नामकरण के साथ 16 अगस्त, 2024 से "अधिसंख्य पद" के सृजन का प्रस्ताव संबंधित सरकारी संगठन द्वारा सुझाए गए वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता और कर्तव्यों की प्रकृति के साथ सरकार को भेजा जाएगा। सरकार वित्त विभाग के परामर्श से संबंधित पद का निर्धारण करेगी और सरकारी संगठन से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नब्बे दिनों के भीतर ऐसे निर्धारण और वित्त विभाग की सहमति से अवगत कराएगी। अधिसंख्य पद के सृजन के बाद उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुलग्नक-डी में दिए गए नमूना फॉर्म के अनुसार पूर्वव्यापी प्रभाव से सेवा सुरक्षा का आदेश जारी किया जाएगा।

#### 6. अधिशेष सुरक्षित कर्मचारियों का समायोजन

यदि किसी सरकारी संगठन में सुरक्षित कर्मचारी अधिशेष हैं, तो ऐसे कर्मचारियों की एक सूची सरकार को उनके समायोजन के लिए किसी अन्य सरकारी संगठन में, आवश्यकता के अनुसार भेजी जाएगी।

#### 7. सेवा करने का दायित्व

एक सुरक्षित कर्मचारी को, सार्वजनिक हित में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय हरियाणा राज्य के भीतर या बाहर किसी भी स्थान पर प्रतिनियुक्त या स्थानांतरित किया जा सकता है।

#### 8. पारिश्रमिक का निर्धारण

पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए, वित्त विभाग द्वारा अधिसंख्य पद की मंजूरी के समय स्वीकृत कार्यात्मक वेतन स्तर के न्यूनतम में 5% या 10% या 15% की दर से वृद्धि को जोड़ने के बाद, इस प्रकार प्राप्त आंकड़े को निकटतम 100 तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए 50 से कम के अंश को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और 50 और उससे अधिक के अंश को अगले 100 तक पूर्णांकित किया जाएगा, जैसा कि अनुलग्नक-सी में दिए गए उदाहरण और नमूने के अनुसार है।

ध्यान दें: जहां महंगाई भत्ता या कोई अन्य भत्ता पहले से ही पारिश्रमिक के साथ लिया जा रहा है, उसे इन नियमों के तहत पारिश्रमिक के निर्धारण के समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

#### 9. वार्षिक वेतन वृद्धि

(1) कार्यात्मक वेतन स्तर में एक वर्ष के दौरान एक बार वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी। वेतन वृद्धि की तारीख प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी या पहली जुलाई होगी, जो उस तारीख से पहले न्यूनतम छह महीने की अर्हक सेवा पूरी करने के अधीन होगी। पहली वेतन वृद्धि 1 जुलाई, 2025 को पात्रता के अधीन स्वीकार्य होगी।

(2) जहां प्रारंभिक पारिश्रमिक कार्यात्मक वेतन स्तर के दो सेल/चरणों के बीच निर्धारित किया जाता है, ऐसे मामले में पहली वार्षिक वेतन वृद्धि तत्काल अगले सेल/चरण तक की राशि के बराबर स्वीकार्य होगी।

#### 10. महंगाई भत्ता

एक 'सुरक्षित कर्मचारी' राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियमित कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी रूप से निर्धारित महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि के बराबर महंगाई भत्ते का हकदार होगा। 31 दिसंबर, 2024 तक कोई महंगाई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

#### 11. आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश का अधिकार

(1) एक सुरक्षित कर्मचारी आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश के लिए उसी दर पर हकदार होगा जो उन्हें नियत दिन से पहले पहले से ही स्वीकार्य थी। हालांकि, महिला सुरक्षित कर्मचारी एक कैलेंडर महीने के दौरान दो दिन के आकस्मिक अवकाश की हकदार होंगी, जो एक कैलेंडर वर्ष के दौरान अधिकतम बाईस दिनों के अधीन होगी, बजाय दस दिनों के।

#### 12. सेवा पुस्तिका

एक सुरक्षित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका उस तरीके से रखी जाएगी जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

#### 13. अनुशासन, दंड और अपील

अनुशासन, दंड और अपील से संबंधित मामलों में, प्रत्येक सुरक्षित कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 और हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होगा, जब तक कि इस उद्देश्य के लिए अलग नियम नहीं बनाए जाते।

#### 14. छूट की शक्ति

जहां सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह आदेश द्वारा, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इन नियमों के किसी भी प्रावधान में किसी भी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में छूट दे सकती है।

अनुलग्नक-ए

[नियम 3(2) देखें]

5 वर्ष या उससे अधिक की संविदा सेवा की गणना के उदाहरण

उदाहरण 1: श्रीमती XYZ को शुरू में पूर्णकालिक आधार पर अनुबंध पर लगाया गया था और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-I या पार्ट-II के तहत या HKRNL के माध्यम से या सीधे संबंधित सरकारी संगठन द्वारा 01.03.2018 से तैनात किया गया था और लगभग 6 महीने, यानी 01.09.2021 से 28.02.2022 तक चिकित्सा आधार पर छुट्टी पर रहीं, जिसके लिए उन्हें कोई वेतन नहीं दिया गया था। उनकी पांच साल की संविदा सेवा की गणना कैसे की जाएगी?

निम्नलिखित तालिका:

| | | | टिप्पणी, यदि कोई हो |

|---|---|---|---|

| 1 | संविदा कर्मचारी का नाम | XYZ | |

| 2 | अनुबंध पर प्रारंभिक तैनाती की तारीख | 01.03.2018 | सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनात। |

| 3 | चिकित्सा आधार पर छुट्टी के कारण सेवा में रुकावट | 01.09.2021 से 28.02.2022 तक | |

| 4 | पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की संविदा सेवा के दौरान कोई रुकावट, यदि कोई हो | 01.03.2018 से 28.02.2021 की अवधि के दौरान, कोई रुकावट नहीं, प्रत्येक संविदा सेवा के वर्ष के दौरान 240 दिनों से अधिक के लिए वेतन प्राप्त हुआ। | उसने 28.02.2021 तक तीन साल की संविदा सेवा पूरी कर ली है। |

| 5 | चौथे वर्ष की संविदा सेवा में कोई रुकावट, यदि कोई हो | चौथा वर्ष 01.03.2021 से 28.02.2022 तक शुरू होता है और 01.09.2021 से 28.02.2022 तक 6 महीने की रुकावट है। चौथे वर्ष की संविदा सेवा के दौरान 240 दिनों से कम के लिए वेतन प्राप्त हुआ। | 240 दिनों से कम के लिए प्राप्त वेतन, इसलिए इस वर्ष को 5 साल की संविदा सेवा के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा। |

| 6 | 5वें वर्ष की संविदा सेवा में कोई रुकावट, यदि कोई हो | 5वां वर्ष 01.03.2022 से 28.02.2023 तक शुरू होता है; इस वर्ष की संविदा सेवा के दौरान कोई रुकावट नहीं है, 240 दिनों से अधिक के लिए वेतन प्राप्त हुआ। | उसने चौथी वर्ष की संविदा सेवा पूरी कर ली है। |

| 7 | 6वें वर्ष की संविदा सेवा में कोई रुकावट, यदि कोई हो | छठा वर्ष 01.03.2023 से 28.02.2024 तक शुरू होता है; इस वर्ष की संविदा सेवा के दौरान कोई रुकावट नहीं है, 240 दिनों से अधिक के लिए वेतन प्राप्त हुआ। | उसने 28.02.2024 को पांच साल की संविदा सेवा पूरी कर ली है, यानी कट ऑफ तारीख से पहले। |

| 8 | 15.08.2024 तक संविदा सेवा के पूरे किए गए वर्ष | पांच | |

| 9 | 15 अगस्त, 2024 को स्थिति | वह सेवा में है। | |

| 10 | क्या अधिनियम के तहत सेवा की सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र हैं | हां, उसने 5 साल से अधिक की संविदा सेवा पूरी कर ली है और वर्तमान में सेवा में है; इसलिए, वह सेवा की सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र है।  
| |

उदाहरण 2: श्री एबीसी को शुरू में 01.08.2017 से सिंचाई विभाग में चपरासी के रूप में अनुबंध पर लगाया गया था और नियमित कर्मचारी की नियुक्ति के कारण 25.12.2020 से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्हें 12.08.2022 से हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड में एचकेआरएनएल के माध्यम से चालक के रूप में फिर से तैनात किया गया और वर्तमान में सेवा में हैं। अधिनियम के तहत सेवा की सुरक्षा के लाभ के उद्देश्य से उनकी संविदा सेवा की गणना करें।

निम्नलिखित तालिका:

| | | | | टिप्पणी, यदि कोई हो |

|---|---|---|---|---|

| 1 | संविदा कर्मचारी का नाम | एबीसी | | |

| 2 | अनुबंध पर प्रारंभिक तैनाती की तारीख | 01.08.2017 | | सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनात। |

| 3 | बर्खास्तगी के कारण सेवा में रुकावट | 26.12.2020 से 11.08.2022 तक | | |

| 4 | पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की संविदा सेवा के दौरान कोई रुकावट, यदि कोई हो | 01.08.2017 से 31.07.2020 की अवधि के दौरान, कोई रुकावट नहीं, प्रत्येक संविदा सेवा के वर्ष के दौरान 240 दिनों से अधिक के लिए वेतन प्राप्त हुआ। | | उसने 31.07.2020 तक तीन साल की संविदा सेवा पूरी कर ली है। |

| 5 | चौथे वर्ष की संविदा सेवा में कोई रुकावट, यदि कोई हो | चौथा वर्ष 01.08.2020 से 31.07.2021 तक शुरू होता है और 26.12.2020 से 31.07.2021 तक 6 महीने की रुकावट है। चौथे वर्ष की संविदा सेवा के दौरान 240 दिनों से कम के लिए वेतन प्राप्त हुआ। | | 240 दिनों से कम के लिए प्राप्त वेतन, इसलिए इस वर्ष को 5 साल की संविदा सेवा के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा। |

| 6 | 5वें वर्ष की संविदा सेवा में कोई रुकावट, यदि कोई हो | 5वां वर्ष 01.08.2021 से 31.07.2022 तक शुरू होता है, पूरे वर्ष के दौरान कोई वेतन प्राप्त नहीं हुआ। इस वर्ष को नहीं गिना जाएगा। | | कोई वेतन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इस वर्ष को नहीं गिना जाएगा। उसने तीन साल की संविदा सेवा पूरी कर ली है। |

| 7 | 6वें वर्ष की संविदा सेवा में कोई रुकावट, यदि कोई हो | छठा वर्ष 01.08.2022 से 31.07.2023 तक शुरू होता है, 01.08.2022 से 11.08.2022 तक 11 दिनों की रुकावट है और इस वर्ष की संविदा सेवा के दौरान 240 दिनों से अधिक के लिए वेतन प्राप्त हुआ। | | उसने 31.07.2023 को चार साल की संविदा सेवा पूरी कर ली है। |

| 8 | 7वें वर्ष की संविदा सेवा में कोई रुकावट, यदि कोई हो | 7वां वर्ष 01.08.2023 से 31.07.2024 तक शुरू होता है, इस वर्ष के दौरान कोई रुकावट नहीं है और इस वर्ष की संविदा सेवा के दौरान 240 दिनों से अधिक के लिए वेतन प्राप्त हुआ। | | उसने 31.07.2023 को पांच साल की संविदा सेवा पूरी कर ली है। |

| 9 | 15.08.2024 तक संविदा सेवा के पूरे किए गए वर्ष | पांच | | |

| 10 | 15 अगस्त, 2024 को स्थिति | वह सेवा में है। | | |

| 11 | क्या अधिनियम के तहत सेवा की सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र हैं | हां, उसने 5 साल से अधिक की संविदा सेवा पूरी कर ली है और वर्तमान में सेवा में है, इसलिए वह सेवा की सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र है। | | |

अनुलग्नक-ख

[नियम 3(5) देखें]

आवेदन पत्र

प्रेषक

सेवा में,

कार्यालयाध्यक्ष

महोदय/महोदया,

यह निवेदन है कि सरकार के परिपत्र संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के संदर्भ में मैं अधिनियम के तहत सेवा की सुरक्षा के लाभ के उद्देश्य से अपना विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करता/करती हूँ :-

\* आवेदक का नाम

\* वर्तमान में धारित पद/पदनाम

\* शुरू से ही प्रत्येक संविदा सेवा वर्ष का वर्षवार विवरण:-

निम्नलिखित तालिका:

| क्रम सं. | पद/कार्य भूमिका | विभाग/सरकारी संगठन का नाम | पिछली सेवा का प्रमाण | संविदा सेवा वर्ष की तारीख | नियुक्ति का तरीका | वेतन प्राप्त दिनों की संख्या |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | चपरासी | स्वास्थ्य विभाग | | 01.06.2015 से 31.05.2016 तक | ओएसपीपी-1 के तहत नियुक्त | 365 दिन |

| 2 | चपरासी | स्वास्थ्य विभाग | | 01.06.2016 से 31.03.2017 तक | -वही- | 304 दिन |

| 3 | | | | 01.04.2017 से 31.05.2017 तक | सेवा में रुकावट के कारण कोई वेतन नहीं मिला। | |

| 4 | | | | 01.06.2017 से 31.08.2017 तक | सेवा में रुकावट के कारण कोई वेतन नहीं मिला। | 273 दिन |

| 5 | क्लर्क | कृषि | | 01.09.2017 से 31.05.2018 तक | ओएसपीपी-II के तहत पुनः नियुक्त | |

| 6 | क्लर्क | कृषि | | 01.06.2018 से 31.05.2019 तक | -वही- | 365 दिन |

| 7 | क्लर्क | कृषि | | 01.06.2019 से 31.05.2020 तक | -वही- | 365 दिन |

| 8 | क्लर्क | कृषि | | 01.06.2020 से 31.12.2020 तक | -वही- | 214 दिन (इस वर्ष को 5 वर्ष की संविदा सेवा के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा)। |

| 9 | | | | 01.01.2021 से 31.05.2021 तक | सेवा में रुकावट | |

| 10 | | | | 01.06.2021 से 31.07.2021 तक | सेवा में रुकावट | 304 दिन |

| 11 | ड्राइवर | लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) | | 01.08.2021 से 31.05.2022 तक | ओएसपीपी-1 के तहत पुनः नियुक्त | |

| 12 | | | | 01.06.2022 से 31.08.2022 तक | सेवा में रुकावट के कारण कोई वेतन नहीं मिला। | 273 दिन |

| 13 | ड्राइवर | लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) | | 01.09.2022 से 31.05.2023 तक | एचकेआरएनएल के माध्यम से | 366 दिन |

| 14 | ड्राइवर | लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) | | 01.06.2023 से 31.05.2024 तक | -वही- | |



| 15 | ड्राइवर | लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) | | 01.06.2024 से 15.08.2024 तक | -वही- |  
76 दिन (इस वर्ष को 5 वर्ष की संविदा सेवा के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा)। |

टिप्पणी: यदि पद या सरकारी संगठन में कोई परिवर्तन हुआ है या आउटसोर्सिंग पार्ट-I या पार्ट-II या एचकेआरएनएल के बीच नियुक्ति के तरीके में कोई परिवर्तन हुआ है या एक वर्ष की संविदा सेवा में कोई रुकावट है, तो ऐसे परिवर्तन की तारीख से एक नई प्रविष्टि की जाएगी, जिसमें इस अवधि के दौरान कम से कम 240 दिनों के लिए पारिश्रमिक के उद्देश्य से एक वर्ष की संविदा सेवा की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा।

- \* वर्तमान में धारित पद/कार्य भूमिका की तैनाती की तारीख
- \* क्या शुरू में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-I या पार्ट-II या अन्यथा के माध्यम से तैनात किया गया था
- \* क्या एचकेआरएनएल में पोर्ट किया गया है या नहीं, यदि हाँ तो पोर्टिंग की तारीख का उल्लेख करें
- \* किसी भी रुकावट की अवधि का उल्लेख करें, यदि कोई हो
- \* रुकावट का कारण, यदि कोई हो
- \* प्राप्त वेतन/मजदूरी (16 अगस्त, 2024 से पहले प्राप्त अंतिम वेतन पर्ची या अंतिम वेतन का प्रमाण संलग्न करें)
- \* स्व-घोषणा और पिछली सेवा के प्रमाण और दस्तावेजों की वास्तविकता भी संलग्न करें।
- \* अन्य जानकारी, यदि कोई हो, जिसे आप जोड़ना/संलग्न करना चाहें

हस्ताक्षर:

आवेदक का नाम:

मोबाइल नंबर:

भुगतानकर्ता कोड यदि कोई हो:

कार्यालय उपयोग के लिए

| | |

|---|---|

| संख्या | |

| दिनांक | |

| (1) | 15.08.2024 तक की संविदा सेवा की अवधि |

| (2) | विभाग द्वारा संविदा सेवा के सत्यापन के संबंध में टिप्पणियाँ |

| (3) | क्या के विरुद्ध तैनात किया गया है- |

| | क) एफडी द्वारा वेतनमान में विधिवत स्वीकृत एक नियमित या संविदात्मक पद, और आउटसोर्सिंग नीति भाग- II के तहत तैनात, यदि हाँ, तो स्वीकृत वेतनमान या एकमुश्त राशि का उल्लेख करें, जैसा भी मामला हो या |

| | ख) आउटसोर्सिंग नीति भाग- I के तहत या एचकेआरएनएल के माध्यम से और निगम मजदूरी दरों के बराबर मजदूरी प्राप्त करना। |

| (4) | वर्तमान में धारित पद का पदनाम |

| (5) | अधिसूचना संख्या 16/71/2021-3जीएस-II, दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित नौकरी की भूमिका का स्तर और समय-समय पर संशोधित। |

| (6) | टिप्पणियाँ, यदि कोई हो |

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय का पता:

विभाग:

अनुलग्नक-ग

(नियम 8 देखें)

पारिश्रमिक निर्धारण के आदेश के उदाहरण और नमूना

(मॉडल गणना के साथ)

विभाग का नाम

पारिश्रमिक निर्धारण का आदेश

संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_

निम्नलिखित तालिका:

| | | |

|---|---|---|

- | 1. | आवेदक का नाम यदि अधिनियम के अंतर्गत आता है | XYZ |
- | 2. | वर्तमान में धारित पदनाम/पद/कार्य भूमिका | क्लर्क |
- | 3. | सत्यापित संविदा सेवा की अवधि | 10 वर्ष से अधिक |
- | 4. | पहले से प्राप्त पारिश्रमिक/मजदूरी/वेतन (भत्ते, यदि कोई हो, को छोड़कर) | 22,000/26,390/28,540 |
- | 5. | अधिनियम के तहत स्वीकार्य वृद्धि की दर | @ 15% |
- | 6. | संविदात्मक रोजगार की प्रकृति:- | |
- | i. | क्या ओएसपीपी-II के तहत एक नियमित पद या एफडी द्वारा वेतनमान या निश्चित राशि में विधिवत स्वीकृत संविदात्मक पद के विरुद्ध तैनात किया गया है (उसी का उल्लेख करें) | |
- | ii. | क्या आउटसोर्सिंग नीति भाग-I के तहत तैनात है (मजदूरी का उल्लेख करें) | |
- | iii. | क्या एचकेआरएनएल के माध्यम से तैनात है (निगम मजदूरी दर का उल्लेख करें) | |
- | 7. | संबंधित नियमित पद का पदनाम, कार्यात्मक वेतन स्तर और समूह | क्लर्क, स्तर-3 (21,700-69,100) |
- | 8. | अधिनियम के तहत पारिश्रमिक का निर्धारण :- | |

उदाहरण-I

निम्नलिखित तालिका:

| | पारिश्रमिक | टिप्पणी, यदि कोई हो |

|---|---|---|

- | 1 | पहले से प्राप्त पारिश्रमिक | 22,000 |
- | 2 | वेतन स्तर का न्यूनतम | 21,700 |
- | 3 | @ 15% की वृद्धि | +3,255 |
- | 4 | न्यूनतम + 15% वृद्धि का कुल योग | 24,955 |

| 5 | पहले से प्राप्त या अधिनियम के तहत स्वीकार्य, जो भी अधिक हो, के बराबर तय किया जाने वाला पारिश्रमिक। | 25,000 |

| 6 | अगली वेतन वृद्धि की तारीख | 01.07.2025 |

| 7 | 01.07.2025 को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद पारिश्रमिक | 25,200 |

| | अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई, 2026 और इसी तरह। | |

उदाहरण-II

निम्नलिखित तालिका:

| | पारिश्रमिक | टिप्पणी, यदि कोई हो |

|---|---|---|

| 1 | पहले से प्राप्त पारिश्रमिक | 26,390 |

| 2 | वेतन स्तर का न्यूनतम | 21,700 |

| 3 | @ 15% की वृद्धि | +3,255 |

| 4 | न्यूनतम + 15% वृद्धि का कुल योग | 24,955 |

| 5 | पहले से प्राप्त या अधिनियम के तहत स्वीकार्य, जो भी अधिक हो, के बराबर तय किया जाने वाला पारिश्रमिक। | 26,400 |

| 6 | 01.07.2025 को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद पारिश्रमिक | 26,800 |

| | अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई, 2026 और इसी तरह। | |

उदाहरण-III

| | पारिश्रमिक | टिप्पणी, यदि कोई हो |

|---|---|---|

| 1 | पहले से प्राप्त पारिश्रमिक | 28,540 |

| 2 | वेतन स्तर का न्यूनतम | 21,700 |

| 3 | @ 15% की वृद्धि | +3,255 |

| 4 | न्यूनतम + 15% वृद्धि का कुल योग | 24,955 |

| 5 | पहले से प्राप्त या अधिनियम के तहत स्वीकार्य, जो भी अधिक हो, के बराबर तय किया जाने वाला पारिश्रमिक। | 28,540 |

| 6 | 01.07.2025 को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद पारिश्रमिक | 29,300 |

वेतन निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-घ

[नियम 5(iii) देखें]

सेवा सुरक्षा प्रस्ताव का नमूना

प्रेषक

नियुक्ति प्राधिकारी

सेवा में,

आवेदक का नाम:

पता:

मेमो संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक:

विषय: हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत सेवा की सुरक्षा का आदेश।

आपके द्वारा उपरोक्त अधिनियम के तहत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के तहत प्रस्तुत आपके आवेदन दिनांक \_\_\_\_\_ के संदर्भ में, आपको निम्नलिखित शर्तों के अधीन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तिथि तक सेवा की सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया जाता है :-

\* सेवा की सुरक्षा का लाभ \_\_\_\_\_ विभाग में \_\_\_\_\_ के पद पर \_\_\_\_\_ से प्रदान किया जाता है, बशर्ते आप उस दिन सेवा में थे।

\* इस पद का कार्यात्मक वेतन स्तर \_\_\_\_\_ है और आपका पारिश्रमिक अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

\* स्वास्थ्य देखभाल, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ (महिला कर्मचारी के मामले में) और अनुग्रह अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति का लाभ हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 में प्रावधान के अनुसार या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित के अनुसार होगा।

\* आपकी सेवाएं हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 और हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के तहत शासित होंगी।

\* आपकी सेवाएं हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 (2024 का 17) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत शासित होंगी।

\* सेवा से त्यागपत्र या समाप्ति के लिए, एक महीने का नोटिस या उसके बदले वेतन, किसी भी पक्ष द्वारा दिया जाएगा।

\* इस पत्र में उल्लिखित नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए आपकी सेवाएं हरियाणा सरकार द्वारा उपरोक्त अधिनियम, 2024 के तहत समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के तहत शासित होंगी।

\* आपके चरित्र और पूर्ववृत्त, आपके व्यक्तिगत दस्तावेजों की वास्तविकता का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि, किसी भी स्तर पर, नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में कोई प्रतिकूल तथ्य आता है, तो आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

\* यदि विवाहित हैं, तो आपके पास एक से अधिक जीवित पति/पत्नी नहीं होने चाहिए। यदि आप अविवाहित हैं, तो आपको हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016, या समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के संदर्भ में विभाग को आपके द्वारा दहेज स्वीकार न करने के संबंध में विवाह के तुरंत बाद एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

\* आप नियुक्ति प्राधिकारी के निर्देश के अधीन भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

\* बहुविवाह के संबंध में घोषणा, आचरण नियमों के संबंध में घोषणा इस पत्र की प्राप्ति के बाद अगले कार्य दिवस पर आपके द्वारा दी जाएगी।

यदि आप उपरोक्त उल्लिखित नियमों और शर्तों पर सेवा की सुरक्षा के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, तो आपको अपनी अस्वीकृति रिपोर्ट अपने 'कार्यालयाध्यक्ष' को तुरंत प्रस्तुत करनी चाहिए, लेकिन किसी भी मामले में इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के बाद नहीं। यदि आप उस तारीख तक अपनी अस्वीकृति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो यह माना जाएगा कि सेवा की सुरक्षा का यह प्रस्ताव आपके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

दिनांक:- चंडीगढ़, 2025

नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम

पृष्ठांकन संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक:

एक प्रति निम्नलिखित को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती है:-

- \* प्रधान महालेखाकार, हरियाणा (एएंडई/लेखापरीक्षा) चंडीगढ़
- \* कोषाधिकारी, \_\_\_\_\_।
- \* सीईओ, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, पंचकुला।

आंतरिक वितरण:-

स्व-घोषणा

(संविदा कर्मचारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना है)

मैं, \_\_\_\_\_, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री \_\_\_\_\_, वर्तमान में  
\_\_\_\_\_ (पदनाम) के रूप में

\_\_\_\_\_ (कार्यालय/विभाग) में अनुबंध पर  
\_\_\_\_\_ से कार्यरत हूँ, एतद्वारा पूरी निष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ  
कि :-

(i) मेरे द्वारा समय-समय पर विभाग/कार्यालय को प्रदान की गई सभी जानकारी, चाहे वह लिखित या डिजिटल रूप में हो, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है।

(ii) सत्यापन, नियुक्ति, सेवा मामलों या किसी आधिकारिक उद्देश्य के लिए मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज और प्रमाण पत्र वास्तविक, वैध और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं।

(iii) मैं पूरी तरह से समझता/समझती हूँ कि यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी या दस्तावेज किसी भी स्तर पर झूठा, मनगढ़ंत या गलत पाया जाता है, तो मेरे खिलाफ सेवा की समाप्ति और नियमों के अनुसार कानूनी कार्यवाही सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

(iv) यह घोषणा स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के की गई है और मैं इसके निहितार्थों को समझता/समझती हूँ।

दिनांक: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

संविदा कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम \_\_\_\_\_

कर्मचारी आईडी \_\_\_\_\_

पदनाम : \_\_\_\_\_

विभाग/कार्यालय \_\_\_\_\_

अनुराग रस्तोगी,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।